संख्या-14/2018/218/26-3-2018-40(विविध)/2017

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 23 जनवरी, 2018

विषयः-वनवन्धु कल्याण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत निदेशालय, जनजाति विकास में मानीटरिंग सेल गठन किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-144/ज.जा.वि./2017-18 दिनांक-01.08.2017 एवं पत्रांक-207/जनजाति/2017-18 दिनांक-26.09.2017 एवं पत्रांक-364/ज.जा.वि./2017-18, दिनांक-15.01.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-''2225-02-796-01-0110-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) अन्तर्गत संचालित वनबन्धु कल्याण योजनान्तर्गत प्राविधानित आय-व्ययक धनराशि रूपये-95.00 लाख (रूपया पन्चानबे लाख मात्र)में से मानीटरिंग सेल के गठन हेतु प्राविधानित धनराशि रूपया-30.00 लाख (रूपया तीस लाख मात्र) के सापेक्ष रूपये-28.60 लाख (रूपये अट्ठाईस लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1)-उक्त स्वीकृति धनराशि निदेशालय, जनजाति विकास में मानीटरिंग सेल गठन किये जाने से सम्बन्धित है। इसमें किसी प्रकार की विचलन की स्थिति अनियमितता मानी जायेगी।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है।

(3)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र विद्यालय के नाम की सूचना सहित यथासमय महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद के साथ-साथ शासन को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

(5)-उक्त धनराशि वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/ दस-2017-231/ 2017, दिनांक-03.08.2017 के दिशा-निर्देशों के अधीन स्वीकृत की जा रही है।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-'2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0110-वनबन्धु कल्याण योजना(के.100प्रति./रा.0प्रति.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)' के नामें डाला जायेगा।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

पृं0संख्या-14/2018/218(1)/26-3-2018तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2-निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।
3-निजी सचिव,मा0 राज्यमंत्री, समाज कल्याण अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण विभाग, उ0प्र0।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
7- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
8- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2
9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in